

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

सिविल सर्जन,
बोकारो।

राँची, दिनांक: 19/12/2025

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य योजना अन्तर्गत बोकारो जिला में अवस्थित स्वास्थ्य विभाग के अधीनस्थ अस्पतालों/स्वास्थ्य केन्द्रों/संस्थानों/कार्यालयों में आउटसोर्सिंग के तहत विभिन्न श्रेणी की सेवाओं को प्राप्त करने पर व्यय किए जाने के निमित्त कुल 5,00,00,000/- (पाँच करोड़) रुपए मात्र का आवंटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय संकल्प संख्या-370A(5), दिनांक-11.05.2022 एवं स्वीकृत्यादेश संख्या-06(5)ब योजना, दिनांक-06.05.2025 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य योजना अन्तर्गत बोकारो जिला में अवस्थित स्वास्थ्य विभाग के अधीनस्थ अस्पतालों/स्वास्थ्य केन्द्रों/संस्थानों/कार्यालयों में आउटसोर्सिंग के तहत विभिन्न श्रेणी की सेवाओं को प्राप्त करने पर व्यय किए जाने के निमित्त कुल 5,00,00,000/- (पाँच करोड़) रुपए मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. उपर्युक्त स्वीकृत्यादेश एवं संकल्प की सभी शर्तें यथावत् रहेंगी।

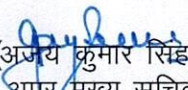
3. योजना पर होने वाले व्यय का विकलन बजटशीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय-69-सभी अस्पतालों, स्वास्थ्य केन्द्रों, लेबोरेट्रीज कार्यालयों, डायग्नोस्टिक सेन्टर्स एवं अन्य संस्थानों (मेडिकल कॉलेजों को छोड़कर) के लिए आउटसोर्सिंग-01-स्वास्थ्य सुविधाओं, संस्थानों जिलों और मुख्यालय में सेवाओं की विभिन्न श्रेणी की आउटसोर्सिंग-03-प्रशासनिक व्यय-29-व्यावसायिक सेवाएँ (विपत्र कोड-20 एस 2210-01-110-69-01-03-29) के अधीन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपबंधित राशि से किया जाएगा।

4. विभागीय संकल्प संख्या-58(21) दिनांक-11.04.2025 में आउटसोर्सिंग अन्तर्गत विभिन्न मानवबल की सेवाएँ प्राप्त करने से संबंधित निहित निदेशों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए संबंधित सिविल सर्जन, झारखण्ड द्वारा राशि का व्यय सुनिश्चित किया जाएगा। उक्त निहित निदेश के इतर राशि व्यय की स्थिति में संबंधित सिविल सर्जन, झारखण्ड को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार मानते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

5. उक्त स्वीकृत्यादेश एवं संकल्पों में निहित निदेश के अनुरूप स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में आउटसोर्सिंग अन्तर्गत कर्मियों की सेवा प्राप्ति की स्थिति में उक्त केन्द्रों के कर्मियों द्वारा किए गए कार्य एवं उनके द्वारा दर्ज की गई उपस्थिति की जाँच संबंधित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित करते हुए प्रमाणित किया जाएगा। उक्त प्रमाण पत्र के आधार पर ही भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।


(अजय कुमार सिंह)
अवर सचिव


(ललित मोहन शुक्ला)
संयुक्त सचिव


(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

6. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक-2561 वि०, दिनांक-17.04.98 एवं 1800(वि०), दिनांक-15.07.2003 एवं सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अन्य आदेश के आलोक में होगा।

7. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सिविल सर्जन, बोकारो होंगे। राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जाएगी।

8. इस सम्पूर्ण राशि के नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा कोषागार में विपत्र प्रस्तुत करते समय यह प्रमाण अंकित करेंगे कि "उक्त संकल्प के अनुरूप ही कर्मी कार्यरत हैं तथा कार्यरत कर्मियों के मासिक उपस्थिति की जाँच कर ली गई है एवं जाँचोपरान्त कार्यरत कर्मियों के विरुद्ध ही राशि भुगतान हेतु विपत्र प्रस्तुत किया गया है।"

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार, झारखण्ड, राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

11. संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करना सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासभाजन,

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक:

राँची, दिनांक:

प्रतिलिपि:

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची।
2. उपायुक्त, बोकारो।
3. अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड, राँची।
4. निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड, राँची।
5. माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।
6. अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अजय कुमार सिंह)
अवर सचिव

(ललित मोहन शुक्ला)
संयुक्त सचिव

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

54(5)ब०
19/12/25

ज्ञापांक: ८५(८) व०

राँची, दिनांक: 19/12/25

प्रतिलिपि:

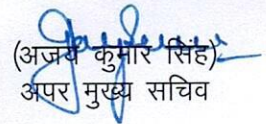
1. संबंधित कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुरोध है कि सिविल सर्जन, बोकारो द्वारा कोषागार में विपत्र प्रस्तुत करते समय इस आशय का प्रमाण पत्र कि उक्त संकल्प के अनुरूप ही कर्मी कार्यरत हैं तथा कार्यरत कर्मियों के मासिक उपस्थिति की जाँच कर ली गई है एवं जाँचोपरान्त कार्यरत कर्मियों के विरुद्ध ही राशि भुगतान हेतु विपत्र प्रस्तुत किया गया है, दिए जाने के पश्चात् ही विपत्र पारित किया जाय।



(अजय कुमार सिंह)
अवर सचिव



(ललित मोहन शुक्ला)
संयुक्त सचिव



(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

આવંટન આદેશ

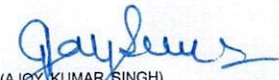
झारखंड सरकार

Health , Medical Education and Family Welfare Department

चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 5/P-34/2024/54(5)B

दिनांक - 19-Dec-2025

क्रमांक	विषय कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 20 22100111069010329 2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी 110 - अस्पताल तथा औषधालय 69 - सभी अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों, लैबोरेटरीज कार्यालयों, डायग्नोस्टिक सेंटरों एवं अन्य संस्थानों (मेडिकल कॉलेजों को छोड़कर) 01-स्वास्थ्य सुविधाओं संस्थानों जिलों और मुख्यालय में सेवाओं की विभिन्न श्रेणी की आउटसोर्सिंग 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme State Scheme : Central Scheme :	79618	BKRMED001 DR. ABHOY BHUSAN PRASAD CIVIL.SURGON, BOKARO  29 - व्यावसायिक सेवाएं	50,000,000.00 रुपये पाँच करोड़
	OUTSOURCING FOR ALL HOSPITALS, HEALTH CENTRES, LABORATORIES, OFFICES, DIAGNOSTIC CENTERS AND OTHER INSTITUTES (EXCEPT MEDICAL COLLEGE)(1692)			
योग:	रुपये पाँच करोड़			50,000,000.00
क्रमिक योग:			 (AJAY KUMAR SINGH) ADDITIONAL CHIEF SECRETARY	

वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवंटित राशि की विवरणी :-

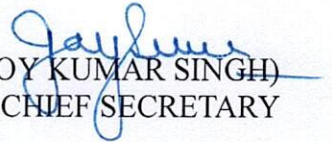
मॉग सं० - 20 स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

मुख्य शीर्ष-2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य & 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी & 110 - अस्पताल तथा औषधालय & 69 - सभी अस्पतालों, स्वास्थ्य केन्द्रों, लेबोरेट्रीज कार्यालयों, डायग्नोस्टिक सेन्टर्स एवं अन्य संस्थानों (मेडिकल कॉलेजों को छोड़कर) के लिए आउटसोर्सिंग

SI No	TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	20S22100111069010329	Total
					व्यावसायिक सेवाएँ	
1	2	3	4	5	6	7
1	Bokaro	BKRMED001	Dr. Abhoy Bhusan Prasad	Civil.Surgon, Bokaro	₹5,00,00,000.00 (79618)	₹5,00,00,000.00

कुल आवंटित राशि :- ₹5,00,00,000.00 (पाँच करोड) रूपये मात्र ।

टिप्पणी :- (#) को आवंटन एक्सेस नंबर समझा जाए


(AJAY KUMAR SINGH)
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY